COURT FEE 10 रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — CANCELLED

56

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

केम्प जबलपुर निग -1164-II-16

निगरानी आवेदन/अपील क्र. /2016 प्रस्तुत दिनांक 26.3.2016

1. ~~श्रीमती श्यामा बाई पति स्व. मोहनलाल बर्मन उम्र 85 वर्ष~~

2. जीवनलाल बर्मन वल्द स्व. मोहनलाल बर्मन उम्र 52 वर्ष

दोनो निवासी 1396 सिविल लाईन जबलपुर

----आवेदकगण/अपीलार्थी

विरुद्ध

श्रीमान तहसीलदार ओमती, जबलपुर

----अनावेदक

26 MAR 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

निगरानी आवेदन/अपील

माननीय मंडल के समक्ष निगरानी आवेदन /अपील एडिशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.2.2016 से व्यथित होकर –

1. अपील कारण – माननीय एडिशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.2.2016 (P-1A)
2. क्षेत्राधिकार – माननीय राजस्व मंडल
3. समयावधि – है

अपील के कारण

1. यह कि माननीय एडिशनल कमिश्नर द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.2.2016 में यह उल्लेख किया है कि **''अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं है''** जबकि विधि के अधीन ऐसे मामलों में **''अभिमुक्ति''** का भी प्रावधान है बल्कि प्रकरण में यह दस्तावेज प्रतिलिपि के रूप में संलग्न है जो आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के पेज क. 10 पर संलग्न है और इस आदेश दिनांक 25.06.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1164–एक/2016 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–01–2017	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 155/बी–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 27–2–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अवधि में आवेदिका क्रमांक 1 श्यामाबाई की मृत्यु दिनांक 27–4–2016 को हो जाने के कारण आवेदक क्रमांक 1 का नाम प्रकरण से विलोपित किया गया तथा आवेदक क्रमांक 2 जीवनलाल बर्मन जो कि आवेदक क्रमांक 1 का पुत्र है, का नाम यथावत प्रकरण में रखा गया। 3/ संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि सिविल लाईन्स स्थित शासकीय नजूल ब्लॉक नंब 39, प्लाट नं. 2/1 पर मकान क्रमांक 467/1 बनाकर आवेदकगण पिछले 70 वर्षो से स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं। आवेदकगण के अनुसार उस समय खमरिया फैक्ट्री का भी निर्माण नहीं हुआ था। आवेदक के मकान के पहले एवं बाद में जो एक ही पंक्ति में है, 7–8 मकान भी इसी शासकीय नजूल भूमि पर बने हुये हैं, जिनमें कुछ पक्के मकान भी बन चुके हैं। आवेदकगण के अनुसार इन मकानों में कुछ प्रभाव व्यक्ति रहते हैं तथा उनके द्वारा अपने प्रभाव के अनुसार पट्टे भी प्राप्त कर लिये हैं जबकि आवेदकगण ने भी पट्टे हेतु प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक पी–5 के अनुसार वर्ष 1984 में आवेदन प्रस्तुत किये थे	

किन्तु आवेदकगण अत्यन्त गरीब होने के कारण उनके आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

तहसीलदार जबलपुर के द्वारा अतिकमण हटाये जाने की कार्यवाही से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमांक 11520/2015 प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27–7–2015 के द्वारा याचिका को खारिज करते हुये यह निर्देश स्पष्ट रूप से दिये हैं कि याचिकाकर्ता एवं अन्य के मध्य कोई भेदभाव न किया जावे।

4/ प्रकरण का अवलोकन किया। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दस्तावेजों के अनुसार पाया गया कि आवेदकगण विवादित स्थल पर बहुत पहले से रह रहे हैं। इस संबंध में दस्तावेज कमांक पी–6 नगर पालिका निगम जबलपुर कमांक 467/1 की रसीद कमांक 381 वर्ष 1984–85 की प्रस्तुत की है तथा दस्तावेज कमांक पी–6 अ की रसीद वर्ष 2013–14 जो कि कम्प्यूटराईज्ड है प्रस्तुत की है। इन दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदकगण विगत लगभग 32 वर्षों से विवादित स्थल पर रह रहे हैं। प्रकरण में दस्तावेज कमांक 3 अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ओमती जबलपुर के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण कमांक 10/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25–6–2015 की प्रति संलग्न है। इस आदेश के पृष्ठ कमांक 2 की तीसरी कंडिका में यह लेख है कि ''इस संबंध में उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये हैं''। इस संबंध में आवेदकगणों के द्वारा अपील

में यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि वेपूर्णतः अनपढ है तथा आवेदक कमांक 2 अंगूठा लगाती है उन्हें संबंधित न्यायालय से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई और न ही उनके अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज मांगे जबकि आवेदकगण के पास आवास से संबंधित पिछले 50 वर्षों के दस्तावेज थे। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील को खारिज किया गया है जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो गुण—दोष पर विचार न करते हुये खारिज हुई है।

यहां यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भेदभावरहित कार्यवाही करते हुये अतिकमण हटाने के निर्देश दिये हैं जिसकी जानकारी आवेदकगण ने कलेक्टर जबलपुर को दी थी किन्तु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा यह स्थल पर जांच नहीं कराई कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पी—1 का दस्तावेज जिसके अनुसार चिहिन्त सी का मकान आवेदकगण का है एवं डी लगायत एफ इसी पंक्ति में अन्य के हैं तथा सी के पहले एवं बाद के ए से एफ चिन्हित मकान भी अन्य के हैं। इस दस्तवेज से यह स्पष्ट है कि सडक के किनारे एक ही पंक्ति में दस्तावेज पी—1 के अनुसार 6 मकान बने हुये हैं। यह सभी मकान एक ही नजूल भूमि पर बने हुये हैं यदि आवेदकगण के मकान को छोड दिया जाये तब शेष सभी मकान भी इसी भूमि पर हैं जिन्हें पट्टे दिये जाने के तथ्य को आवेदकगण ने स्पष्ट किया है। उक्त भवन यदि एक ही पंक्ति में है तब आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कमांक पी—5 के आवेदन दिनांक 3—8—2015 जो कि कलेक्टर जबलपुर

को प्रस्तुत किया गया है के साथ संलग्न वर्ष 1984 की शासकीय पावती एवं वर्ष 1984 का ही आवेदन जो कुंवर अर्जुनसिंह के नाम से सम्बोधित है तथा उक्त वर्ष का ही नजूल अधिकारी जबलपुर के नाम से आवेदन आवेदक कमांक 1 द्वारा दिया गया है जिसमें उनके द्वारा पट्टे की मांग की गई थी। संबंधित तहसीलदार को इन दस्तावेजों का अत्यन्त ही सूक्ष्मता से अवलोकन करना था तथा इन आवेदन पत्रों पर उक्त समय में कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इस कारण को भी उल्लेखित करना था तथा आवेदकगण के पहले तथा बाद की एक ही पंक्ति में बने भवनों के पट्टों की सूक्ष्मता से जांच करना थी। यदि एक ही पंक्ति में बने भवनों के अन्य व्यक्तियों को पट्टे दिये जा चुके थे तब क्या कारण था कि आवेदकगण को पट्टा नहीं दिया गया और अन्य को न हटाकर मात्र एक ही मकान को हटाये जाने की कार्यवाही पर ध्यान देना थाकिन्तु इस तथ्य पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया अर्थात संबंधितों के द्वारा इस भेदभाव पूर्ण कार्यवाही पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत स्थल का नक्शा नजरिया दस्तावेज कमांक 1 एवं संलग्न 7 फोटोग्राम आवेदकगण के मकान की एक ही पंक्ति में पहले एवं बाद में बने मकानों के हैं जिनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि मात्र मध्य के मकान को ही हटाये जाने की कार्यवाही लगातार हुई है जो उचित प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार को निम्नानुसार बिन्दु की जांच कर आवश्यक कार्यवाही

1. आवेदक के मकान के पहले तथा बाद में बने भवनों की पंक्ति का स्थल निरीक्षण

2. आवेदक के पहले एवं बाद के एक ही पंक्ति में बने मकानों को पट्टा कब और कब तक के लिये दिये गये हैं तथा क्या इन व्यक्तियों द्वारा पक्के मकान बनाये जाने के मापचित्र स्वीकृत कराये गये हैं?

3. क्या एक ही पंक्ति में बने मकानों में रह रहे व्यक्ति अन्य भूमि एवं भवन धारण तो नहीं करते तथा कितने व्यक्ति अपने—अपने मकानों में रह रहे हे। एवं उनका व्यवसाय क्या व्यवसाय है?

4. आवेदक द्वारा वर्ष 1984 में दिये गये आवेदनों की जांच कर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित की जावे।

5. अतिकमण हटाये जाने की कार्यवाही एक ही भवन पंक्ति में बने सभी भवनों पर यदि आवश्यक है तब की जावे जिससे भेजभाव रहित कार्यवाही संभावित न हो सके।

आवेदक जीवनलाल बर्मन के मकान की पंक्ति में अर्थात एक ही लाईन में बने पहले एवं बाद के मकानों को जो पट्टे दिये गये हैं उन्हीं क्षेत्रफल के अनुरूप अपीलार्थी को पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे, तब तक मकान को हटाये जाने की कार्यवाही स्थगित की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालयों के इस संबंध में पारित आदेशों को अपास्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य